भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3939 का उत्तर

अतिरिक्त भूमि का उपयोग

3939. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे पूरे देश में अतिरिक्त भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु एक मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का ब्यौरा क्या है और इसकी क्या कीमत है;

(ग) अधिशेष भूमि को किस प्रकार निपटाया जाएगा; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि उत्पन्न करने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

sk

अतिरिक्त भूमि के उपयोग के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री एस. ज्ञानतिरावियम के अतारांकित प्रश्न सं. 3939 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रेलवे के पास कुल 4.73 लाख हेक्टेयर भूमि में से लगभग 0.51 लाख हेक्टेयर खाली भूमि (सरप्लस नहीं) है। जोन-वार खाली पड़ी रेलवे भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े हैक्टेयर में)

क्षेत्रीय रेलवे	खाली पड़ी भूमि
मध्य	2022.03
पूर्व	2110.49
पूर्व मध्य	4094.75
पूर्व तट	3011.28
उत्तर	11438.69
उत्तर मध्य	735.11
पूर्वोत्तर	5564.67
पूर्वोत्तर सीमा	1410.45
उत्तर पश्चिम	1277.35
दक्षिण	2741.44
दक्षिण मध्य	1276.58
दक्षिण पूर्व	464.76
दक्षिण पूर्व मध्य	3142.72
दक्षिण पश्चिम	4662.15
पश्चिम	6258.54
पश्चिम मध्य	617.45
कुल	50828.46

Sk

खाली पड़ी भूमि अधिकतर पटरियों के साथ पतली पट्टियों के रूप में होती है और इसका उपयोग रेलपथों, पुलों, अन्य अवसंरचना की मरम्मत और अनुरक्षण, तथा रेलवे की विकास संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है। आनुषंगिक लॉजिस्टिक सहायता/अवसंरचना के लिए भी इस खाली भूमि का उपयोग किया जाता है जैसे थोक तेल संस्थापनाएं एवं तेल डिपो, स्टील यार्ड, कंक्रीट स्लीपर संयंत्र, निजी साइडिंगों तक कनेक्टिविटी, पत्तनों तक कनेक्टिविटी, आदि, जिसके लिए भूमि पट्टे/लाइसेंस पर दी जाती है। रेलवे को तात्कालिक भावी परिचालनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए जिस खाली भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे जहां कहीं भी व्यवहार्य होता है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के जरिए अंतरिम अवधि में वाणिज्यिक/परिसंपत्ति विकास के लिए खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से पट्टे पर भी दिया जाता है ताकि अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें। आज की तिथि तक, 224 हेक्टेयर (लगभग) लम्बाई के 63 साइटों को लगभग 10,000 करोड़ रु. की संभावित राजस्व संभाव्यता के साथ आरएलडीए को सौंपा गया है।

******

sk

Sk